

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांधी नगर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांधी नगर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2025-13621, दिनांक 25 अप्रैल, 2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट नगर परिषद् कुल्लू अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 08-03-1969 को हुआ है, अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त नगर परिषद् कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-06-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांधी नगर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू,  
तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी सतरिम, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी सतरिम, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2026-3961, दिनांक 28 फरवरी, 2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत भूमतीर अन्य कागजात सहित

इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1985 को हुआ है, अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत भूमतीर, तहसील व जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-06-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी सतरिम, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू,  
तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

-----  
**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री बर्यागी राम, निवासी कडॉन, डाकघर भूठी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री बर्यागी राम, निवासी कडॉन, डाकघर भूठी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2026-4330, दिनांक 07 मार्च, 2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत चोपारसा अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 10-09-1975 को हुआ है, अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत चोपारसा तहसील व जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22-06-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री बर्यागी राम, निवासी कडॉन, डाकघर भूठी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू,  
तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।